लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

विज्ञापन संख्या ए-4/ई-1/2002

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2002

डाक घर द्वारा आवेदन पत्र विक्रय की तिथि - 25 जनवरी 2003

आयोग द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि - 21 फरवरी 2003

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

विज्ञापन आयोग के वेबसाईट http://www.uppsc.org. पर भी उपलब्ध है।

2.इस परीक्षा के ओ.एम.आर. आवेदन पत्र परम्परागत आवेदन पत्र सहित जिलों के क्रमांक 7(2) में निर्धारित डाक घरों से मूल्य के आधार पर उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र के पी.जी. सीरीज (केवल सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों (समाज के विकलांग को छोड़कर) का मूल्य रु० 215/- तथा पी.आर. सीरीज (उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एवं समाज के विकलांग हेतु) का मूल्य रु० 125/- होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन पत्र का मूल्य उनकी मुख्य श्रेणी के अनुसार होगा।

3 आरक्षण सम्बन्धी निर्धारित प्रपत्र तथा अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश , विषय तथा पाठ्यक्रम भी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र तथा परम्परागत आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे ।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद , उत्तर प्रदेश अभियोजन शाखा में **सहायक अभियोजन अधिकारी के 57 पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु वर्ष 2003 में आयोग द्वारा इलाहाबाद तथा लखनऊ के निर्धारित केन्द्रों पर एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेंगे। उक्त 57 पदों में से सामान्य की 27 अनुसूचित जाति की 13 तथा अन्य पिछड़े वर्ग की 17 रिक्तियाँ हैं।**

परीक्षा की तिथियाँ तथा केन्द्र आवंटित कर अभ्यर्थियों को समयानुसार सूचित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने पर यथावश्यक प्रारम्भिक परीक्षा भी कराई जा सकती है।

2. रिक्तियों की संख्या असामान्य परिस्थितियों में घट बढ़ सकती है।

3. आरक्षण : क्षैतिज आरक्षण समाज के विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को अद्यतन शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

नोट : (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र जमा करें तथा आरक्षण हेतु आवेदन न करें।(4) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितो एवं महिलाओं को आरक्षण अनुमन्य नही है।

4. वेतनमान : रु 6500-10500.

5. शैक्षिक अर्हताएं : आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक
की उपाधि अवश्य धारित करना चाहिए।

अधिमानी अर्हता :- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिसने 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; **2.** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

6. आयु :- (I) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई 2002 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करना चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02.07.1967 से पूर्व तथा 01.07.1981 के बाद का नहीं होना चाहिए।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

विज्ञापन संख्या
ए-4/ई-1/2002

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2002

डाक घर द्वारा आवेदन पत्र विक्रय की तिथि - 25 जनवरी 2003

आयोग द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि - 21 फरवरी 2003

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

विज्ञापन आयोग के वेबसाईट http://www.uppsc.org पर भी उपलब्ध है।

2. इस परीक्षा के ओ.एम.आर. आवेदन पत्र परम्परागत आवेदन पत्र सहित [illegible] के क्रमांक 7(2) में निर्धारित डाक घरों से मूल्य के आधार पर उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र के [illegible] (केवल सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों (समाज के विकलांग को [illegible]) का मूल्य रु० 215/- तथा पी.आर. सीरीज (उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एवं समाज के विकलांग हेतु) का मूल्य रु० 125/- होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन पत्र का मूल्य उनकी मुख्य श्रेणी के अनुसार होगा।

3 आरक्षण सम्बन्धी निर्धारित प्रपत्र तथा अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, विवरण तथा [illegible] ओ.एम.आर. आवेदन पत्र तथा परम्परागत आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश अभियोजन शाखा में सहायक अभियोजन अधिकारी के 57 पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु वर्ष 2003 में आयोग द्वारा इलाहाबाद तथा लखनऊ के निर्धारित केन्द्रों पर एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगी। उक्त 57 पदों में से सामान्य की 27 अनुसूचित जाति की 13 तथा अन्य पिछड़े वर्ग की 17 रिक्तियाँ है। परीक्षा की तिथियाँ तथा केन्द्र आवंटित कर अभ्यर्थियों को समयानुसार सूचित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने पर यथावश्यक प्रारम्भिक परीक्षा भी कराई जा सकती है।

2. रिक्तियों की संख्या असामान्य परिस्थितियों में घट बढ़ सकती है।

3. आरक्षण : क्षैतिज आरक्षण समाज के विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों [illegible] की महिला अभ्यर्थियों को अद्यतन शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

नोट : (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी [illegible] निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसकी प्रमाणित प्रति [illegible] आवेदन पत्र के साथ सलग्न करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट [illegible] लाभकारी होगी दी जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र जमा करें तथा आरक्षण हेतु आवेदन न करें।(4) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं महिलाओं को आरक्षण अनुमन्य नहीं है।

4. वेतनमान - रु 6500-10500

5. शैक्षिक अर्हताएं : आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक

की उपाधि अवश्य धारित करना चाहिए।

अधिमानी अर्हता :- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिन्होंने 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

6. आयु : (i) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई 2002 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करना चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02.07.1967 से पूर्व तथा 01.07.1981 के बाद का नहीं होना चाहिए।

सत्यप्रतिलिपि

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. न्यायालय
(महिला के विरुद्ध अपराधों के विचारण हेतु विशिष्ट)
कानपुर नगर